न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 09 / 2013

उनवान

1. कजोडी बेवा माधू धाकड निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
2. श्रीमती मांगी बाई पुत्री माधू धाकड निवासी बैरीसाल तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स / वादीगण

बनाम

1. सुरेश चन्द्र पिता देबी लाल धाकड निवासी नला का नया गांव तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बिजौलिया, जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया के प्रकरण संख्या 208 / 2010 निर्णय एवं डिकी दिनांक 23.8.2012

अभिभाषक : 1. श्री आर सी सारस्वत, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2.श्री प्रत्यर्थी संख्या बावजूद सूचना अनुपस्थित
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 29.06.2018

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी संख्या 1 व 2/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया कजोडी के पति व वादिया मांगी बाई के पिता माधू के गैर खातेदारी कब्जेकात में ग्राम बैरीसाल में आराजी नम्बर 444/362 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि दर्ज थी। वादिया कजोडी के पति का देहान्त हो जाने के पश्चात पटवारी हल्का बैरिसाल द्वारा विरासत से नामान्तरकरण संख्या 125 वादिया के नाम पर खोला परन्तु रेस्पोडेण्ट नम्बर 2 द्वारा प्रतिवादी सुरेश पिता देबी लाल धाकड निवासी नला का नया गांव के नाम पर दिनांक 12.5.1993 को स्वीकृत कर दिया गया । वादग्रस्त भूमि वादीगण के कब्जेकाश्त में चली आ रही है। वादीगण बरसों से शांतिपूर्वक काबिज हो बिना किसी बाधा के काश्त करते आ रहे हैं। खातेदारी माधू पिता भवाना धाकड ने प्रतिवादी नम्बर 1 सुरेश चन्द्र को न तो कभी गोदपुत्र लिया और न ही किसी प्रकार का वसीयतनामा लिखा गया तथाकथित वसीयतनामा प्रारंभ से शून्य होकर अवैध व फर्जी है। वादग्रस्त आराजियात बाबत पूर्व में वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत किया था जिसके प्रकरण संख्या 167/95 होकर दिनांक 29.3.2003 को वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर दीगर खसरा नम्बरान माधू पिता भवाना धाकड के बजाय वादीगण के नाम दर्ज किये हैं परन्तु वादीगण के अनपढ होने के कारण वाद पत्र में खसरा नम्बर 444/362 अंकित नहीं किये । वादीगण ने अपील भी पेश की जो 3/2004 दर्ज की गई एवं निर्णय दिनांक 23.5.2006 द्वारा अपील खारिज कर दी गई। वादग्रस्त आराजियात वादीगण के कब्जेकाश्त में बरसों से चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को जबरन बेदखल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

करने पर आमादा है। अतः मृतक खातेदार माधु पिता भवाना धाकड का वादीगण को उत्तराधिकारी घोषित किये जाने एवं प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया ।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.8.201 द्वारा वादीगण का वाद पत्र खारिज किया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थीगण के योग्य अधिक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं दी गई। जानकारी करने पर बताया गया कि निर्णय नहीं लिखा गया है। नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे भी नही लिया गया एवं कहा गया कि जब निर्णय लिखा दिया जावेगा तब नकल प्रार्थना पत्र लेंगें। जब दिनांक पीठासीन अधिकारी जी का स्थानान्तरण हो गया एवं जब पीठासीन अधिकारी जी रिलीव हो गये उसके उपरान्त निर्णय पुरानी तारीख 23.8.2012 में लिखवाया गया। जिसका आवेदन पत्र दिनांक 22.11.2012 को लिया जाकर वादीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की फोटो प्रति दी गई। इस कारण अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने गलत तरीके से विरासत से नामान्तरकरण अपने नाम खुलवा लिया। जबकि वादग्रस्त आराजी अपीलार्थीगण/वादीगण के कब्जेकाश्त में चली आ रही है। प्रतिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने आपको माधु जी का गोद पुत्र बताते हुए विधिक उत्तराधिकारी होना

भू. प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कहते हुए राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार विस्तृत विवेचन नहीं किया है एवं न ही राजस्व रेकार्ड, साक्ष्य, दस्तावेज का अवलोकन ही किया है। वादीगण के नाम पूर्व में वादग्रस्त आराजी का विरासत से नामान्तरकरण खोला गया और प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में बिना किसी आधार के पूर्व नामान्तरकरण को आधार बनाकर निर्णित कर दिया गया । पूर्व के निर्णयों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रतिवादी को स्व0 माधू खातेदार का उत्तराधिकारी जरिये विरासत या वसीयत से नहीं माना गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णयों पर अपना विवेचन नहीं कर उनकी अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय तनकी नम्बर 3 व 4 क बाबत पारित नहीं करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की जो निरस्त योग्य है।

5. अपीलार्थीगण/वादीगण ने वादग्रस्त आराजियात को प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रतिवादी के नाम से हटाकर पुनः माधु पिता भुवाना धाकड के नाम दर्ज करने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया था । प्रत्यर्थी ने नामान्तरकरण संख्या 125 द्वारा वादग्रस्त आराजियात अपने नाम दर्ज करा ली जबकि वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा अपीलार्थीगण/वादीगण का ही चला आ रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर प्रत्यर्थी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाकर वादग्रस्त आराजियात का अपीलार्थीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ।

6. प्रत्यर्थी संख्या 1 के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही की गई ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

7. हमनें अधिवक्ता अपीलार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । प्रकरण में राज्य सरकार फोर्मल पक्षकार है। अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भावी एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

8. अपीलार्थीगण का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी माधु जी की है जो अपीलार्थी संख्या 1 के पति एवं अपीलार्थी संख्या 2 के पिता हैं। माधु जी की मृत्यु के उपरान्त वादग्रस्त आराजियात पर अपीलार्थीगण/वादीगण का कब्जाकाश्त चला आ रहा था। प्रत्यर्थी संख्या 1 को कभी भी गोद नहीं रखा गया था। वादग्रस्त आराजियात प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पर गलत तरीके से दर्ज हुई है । जिसका नाम हटाया जावे एवं अपीलार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे।

9. अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रतिवादी ने जवाब दावा प्रस्तुत कर यह अंकित किया कि उसे माधु जी एवं वादिया क्रमांक 1 ने बाल्यकाल में गोद लिया था । माधु जी की मृत्यु के उपरान्त जब नामान्तरकरण की कार्यवाही हुई उस समय वादी संख्या 1 एवं वादी संख्या 2 ने प्रत्यर्थी/प्रतिवादी को माधु जी का उत्तराधिकार एवं वारिस मानते हुए सहमति दी थी। वादग्रस्त आराजियात माधु जी की मृत्यु के उपरान्त प्रतिवादी नम्बर 1 के कब्जे में आई थी। प्रतिवादी संख्या1/प्रत्यर्थी संख्या 1 ही माधु जी का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वैध उत्तराधिकारी एवं वारिस है। वादिया संख्या 1/वादिया संख्या 2 के बहकावे में आकर अपीलार्थी संख्या 1/वादिया , प्रतिवादी संख्या 1 को उसका गोद पुत्र मानने से इंकार कर रही है एवं यह वाद पत्र प्रस्तुत किया था।

10. प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रतिवादी द्वारा माधु जी के गोद जाने संबंधी कोई गोदनामा, अथवा इससे सबंधीत अन्य दस्तोवज प्रस्तुत नहीं किये एवं न ही गोद रखे जाने संबंधी रस्म संबंधी कथन हीं किया है एवं न ही किसी स्वतंत्र साक्ष्य के बयान ही लेखबद्ध कराये हैं। इसके विपरीत वादिया/अपीलार्थी संख्या 1 ने प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1 को गोद माधु जी के जीवन काल में गोद लेने के तथ्य से इंकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किसी भी प्रकार की साक्ष्य, गोदनामा, रेकार्ड प्रस्तुत किये बगैर बिना तनकीवार विस्तृत निर्णय सुनाये संक्षिप्त रूप से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा अपीलार्थीगण/वादीगण का वाद पत्र खारिज किया है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

11. साथ ही अपीलार्थीगण द्वारा इन्हीं पक्षकारान के मध्य दूसरी आराजियात बाबत इन्हीं विवादित बिन्दुओं के आधार पर पूर्व में उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ द्वारा प्रकरण संख्या 167/95 (85/01) में पारित निर्णय दिनांक 29.3.2003 की प्रति प्रस्तुत की है। जिसमें भी प्रतिवदी सुरेशचन्द्र का नाम हटाया जाकर वादीगण/अपीलार्थीगण को माधु पिता भुवाना के बजाय खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। उक्त प्रकरण में न्यायालय हाजा में भी प्रकरण की अपील संख्या 135/2003 में निर्णय दिनांक 3.3.09 से अपील खारिज की गई है।

12. साथ ही दर्ज नामान्तरकरण पूर्व में वादीगण/अपीलाण्ट माधू की पत्नि व पुत्री के नाम दर्ज

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किया गया था परन्तु तहसीलदार द्वारा वसीयत के आधार पर सुरेश के नाम नामान्तरकरण निर्णित कर दिया गया । पूर्व के दिनांक 29.03.2003 के उपखण्ड अधिकारी के निर्णय में विवेचन में आराजी को पैतृक सम्पति मानी है। माधू की पैतृक सम्पति होने से एवं सुरेश का वसीयत के आधार पर दत्तक पुत्र की हैसियत से कोई अधिकार नहीं बनता । वे वसीयतनामा भी प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं।

13. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.8.2012 को खारिज किया जाता है एवं मौजा बैरिसाल स्थित वादग्रस्त आराजी नम्बर 444/362 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा से प्रत्यर्थी संख्या 1 सुरेश चन्द्र पिता देबी लाल धाकड का नाम हटाया जाकर राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थीगण का नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 1 को पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजियात में अपीलार्थीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करे। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

14. निर्णय आज दिनांक 29.6.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

29/6/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ भीलवाड़ा (राज.) ★

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 09 / 2013

उनवान

1. कजोडी बेवा माधू धाकड निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
2. श्रीमती मांगी बाई पुत्री माधू धाकड निवासी बैरीसाल तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स / वादीगण

बनाम

1. सुरेश चन्द्र पिता देबी लाल धाकड निवासी नला का नया गांव तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बिजौलिया, जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया के प्रकरण संख्या 208 / 2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.8.2012

अभिभाषक : 1. श्री आर सी सारस्वत, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2.श्री प्रत्यर्थी संख्या बावजूद सूचना अनुपस्थित
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 09 / 2013** मे **उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैं:–

यह अपील तारीख 29.6.2018 को अपीलाण्ट की ओर से श्री आर सी सारस्वत वकील एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 के अनुपस्थित रहने से अपीार्थीगण की उपस्थिति मे दिनांक 29.6.2018 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.8.2012 को खारिज किया जाता है एवं मौजा बैरिसाल स्थित वादग्रस्त आराजी नम्बर 444/362 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा से प्रत्यर्थी संख्या 1 सुरेश चन्द्र पिता देबी लाल धाकड का नाम हटाया जाकर राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थीगण का नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 1 को पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजियात में अपीलार्थीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करे।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 29.6.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

29/6/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस